OIC

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक. 3374/अका./2015 रायपुर, दिनांक 23/04/2015

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालय,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय : अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित करने अथवा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में।

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्र. 1946 दिनांक 09.04.2015 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्र क्र. F No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09.08.2014 के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है। जिसके अनुसार कोई भी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के अन्यथा केन्द्र स्थापित नहीं कर सकते। आपका महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आता है एवं सम्बद्ध भी है। इसलिए आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में किसी अन्य विश्वविद्यालय/ संस्थान का अध्ययन केंद्र संचालित हो तो, तत्काल बंद कर दें एवं इस आशय का एक प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो :–

''हमारे संस्था में बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र, संचालित नहीं है अथवा संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है अथवा संचालित नहीं किया जावेगा।''

उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पक्ष में महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिनांक 02.05.2015 के पूर्व जारी किया जावेगा। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि उक्ताशय का प्रमाण पत्र **विश्वविद्यालय को 10.05.2015 के पूर्व प्राप्त हो जावे।**

कृपया इसे प्राथमिकता दें। निर्धारित तिथि तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दी जावेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

पृ. क्रमांक. 3375/अका./2015 रायपुर, दिनांक 23/04/2015

प्रतिलिपि :

01. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
03. संचालक, महाविद्यालय, विकास परिषद्,
04. अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
05. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
06. संपादक, दैनिक समाचार पत्र को इस निवेदन के साथ कि वे इसे समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव (अका.)

D:\back\shital\section 2011 Acad\Hemant sharma\General Letter H.Sharma rt0356

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / 1946 /उशि/2014 नया रायपुर, दिनांक 9/4/15

प्रति,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
(राजकीय एवं निजी)
छत्तीसगढ़।

विषयः विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार बावत।

संदर्भ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्रमांक UGC/DEB/QMC/2013.

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त परिपत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार, कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। आशा है कि आपके द्वारा दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा होगा।

राज्य शासन, एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी संस्था के द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव,
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

पृ.क्रमांक / /उशि/2014 नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, (राजकीय एवं निजी)छत्तीसगढ़।
5. सचिव, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

सचिव,
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

945/शा-प्रशा
17-04-15